

सरकूलर नं0: अपमा/2016-2018/307

दिनांक : 8-8-2018

'स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें'

"72 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन"

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था अपमा द्वारा मंगलवार दिनांक 14—8—2018 को सुबह 11.00 बजे तिकोना पार्क कश्मीरी गेट दिल्ली—110006 पर 72वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। अपमा की समस्त कार्यकारिणी आप सभी को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह में सादर आमंत्रित करती है।

साथियों, चांदनी चौक के निगम पार्षद श्री रिव कप्तान जी एवं सिविल लाईन के निगम पार्षद श्री जत्थेदार अवतार सिंह जी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। माननीय अतिथियों के कर—कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

अतः आपसे निवेदन है कि 72वें स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए मंगलवार दिनांक 14—8—2018 को सुबह 11.00 बजे तिकोना पार्क कश्मीरी गेट दिल्ली—110006 पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित हों तथा देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद कर उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करके अपने आपको गौरवान्वित महसूस करें।

सरकूलर नं0: अपमा/2016-2018/308 "HOLIDAY"

The Members of the Trade are informed that the Market will remain closed due to :-

01. "INDEPENDENCE DAY" on WEDNESDAY, the 15th AUGUST, 2018".

कृ०उ०प०.....2

सरकूलर नं0: अपमा / 2016-2018 / 309

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि चांदनी चौक के निगम पार्षद श्री रिव कप्तान जी के अथक प्रयास एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा कश्मीरी गेट में पुरानी LED LIGHTS की जगह पर नई LED LIGHTS लगवायी गई है, जोिक पहले की अपेक्षा अधिक रोशनी देती है, जिसके कारण अब मार्किट में ज्यादा रोशनी हो गई है। इसके लिए आप सभी व्यापारी भाईयों की तरफ से आपकी संस्था 'अपमा' निगम पार्षद श्री रिव कप्तान जी का हार्दिक आभार व्यक्त कर धन्यवाद करती है।

सरकूलर नं0: अपमा/2016-2018/310

''सावधान''

''सावधान''

''सावधान''

दिल्ली की कानून व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टि से आपको सूचित कर रहे हैं कि स्थानीय कश्मीरी गेट व मोरी गेट बाजार की सुरक्षा का दायित्व हम सभी पर निर्मर करता है। कुछ असामाजिक तत्व व आतंकवादी संगठन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना बना सकते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपके पड़ौसियों के लिए जानलेवा हो सकती है। पुलिस विभाग को तरफ से कुछ हिदायतें जारी की गई हैं, जिनका पालन करना सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यापारियों के लिए हितकर होगा।

- यदि कोई व्यक्ति लावारिस सामान रखता है तो उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दी जाये।
- किसी भी तरह के लावारिस पड़े माल को हाथ न लगायें, उसे छुऐं नहीं, उससे दूर रहें और इस तरह के सामान को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को पकड़वाने में पुलिस को मदद करें।
- आप अपनी दुकान के आगे पेटियां या अन्य सामान न रखें ना किसी को रखने दें, हो सकता है कोई इनमें विस्फोटक पदार्थ छुपा दें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति के सामान की जिम्मेदारी न लें, उसमें बम हो सकता है।
- अपनी दुकान के सामने वाहन खड़ा न करें और न किसी को वाहन खड़ा करने दें।
- आपकी सतर्कता और आपकी सूचना किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है।
 अपना और अपने पडौिसयों का ध्यान रखें।
- यदि कोई भी वाहन लावारिस दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरन्त पी.सी.आर. वैन अथवा 100 नम्बर पर या टेलीफोन नम्बर 23968730, पर थाना कश्मोरी गेट, से सम्पर्क करें।

(विष्णु भार्गव) महासचिव